दूरभाष–01373-223433
Email-gwlspurola@gmail.com

कार्यालय–उप निदेशक,
गोविन्द वन्य जीव विहार एवं राष्ट्रीय पार्क, पुरोला।

पत्रांक 792 /12–1 पुरोला दिनांक 03/10/2022

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग
पुरोला, उत्तरकाशी।

विषयः– जनपद उत्तरकाशी में रूपिन नदी पर धौला नामक स्थान पर 42 मी० स्पान का स्टील गर्डर पुल का निर्माण हेतु 0.224 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (Online (Proposal no. FP/UK/Other/9741/2015)

सन्दर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्रांक सं०–8 बी/यू०सी०पी०/09/65/2016/एफ०सी०/1143, दिनांक–07.12.2021 एवं आपका पत्रांक–1321/वन भूमि दिनांक–01.08.2022, अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय का पत्रांक–745/FP/UK/Others/9741/2015 Date-15 सितम्बर 2022।

महोदय,

भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा उक्त कार्य की सैद्वान्तिक स्वीकृति जारी की गयी है। उक्त कार्य का डिमाण्ड नोट इस कार्यालय के पत्रांक–1437/12–1 दिनांक–25 जनवरी 2022 से पूर्व में जारी किया गया। आपने अपने उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा अवगत कराया गया था कि उक्त कार्य का पुनः डिमाण्ड नोट नई दरों से जारी किया जाये। आपके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में इस कार्यालय के पत्रांक–389/12–1 दिनांक–08 अगस्त 2022 से डिमाण्ड नोट जारी किया गया। अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून महोदय, द्वारा अपने पत्रांक–745/FP/UK/Others/9741/2015 Date-15 सितम्बर 2022 से निर्देशित किया है कि डिमाण्ड नोट पुरानी दरों पर जारी किया जाये। अतः सैद्वान्तिक स्वीकृति के अनुपालन हेतु निम्नवत् डिमाण्ड नोट जारी किया जाता हैः–

1. शर्त संख्या–01 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि की विधिक परिस्थिति में कोई बदलाव नही किया जायेगा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
2. शर्त संख्या–02 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि वन विभाग को सौंपे जाने के पश्चात ही वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपी जायेगी।
3. शर्त संख्या–03 (क) के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग के व्यय पर 0.448 है० पर 448 पौधो का रोपण हेतु अवनत भूमि दोणी कक्ष सं०–1 एवं हड़वाडी–3 में प्रतिपूरक वनीकरण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु ₹ 1,82,780.00 की धनराशि जमा करनी होगी। जहॉ तक व्यवहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाये तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें। दर का निर्धारण प्रमुख वन संरक्षक (HOFF) उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–क–40/3–5–2 दिनांक 13.02.2021 के अनुसार निर्धारित किया गया है।

प्र/c

वसूली वर्ष 2022–23 हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु धनराशि का विवरण –

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दोगुनी भूमि –	0.224X 2 =0.448 हे०
क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दर प्रति हे०–	407,992.00 प्रति हे०
क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु धनराशि–	0.448 X 407,992= ₹ 1,82,780.42
	or ₹ 1,82,780.00

शर्त संख्या–03 (ख)– के अनुपालन में प्रयोक्ता विभाग द्वारा पौधारोपण योजना एवं क्षेत्र का नाम एवं Coordinates अंकित करते हुए डिजिटल मानचित्र इस कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

शर्त संख्या–03 (ग) के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित किये जाने वाले क्षेत्र की के०एम०एल० फाइल, सी०ए० क्षेत्र, प्रस्तावित एस०एम०सी० कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया, ट्रीटमेंट क्षेत्र और डब्ल्यू०एल०एम०पी० क्षेत्र की लीनियर परियोजनाओ के लिये अनुमति जारी करने से पहले सभी विवरणों के साथ ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा। इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

4. **शर्त संख्या–04** के अनुपालन मे प्रयोक्ता द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा कि यदि आवश्यकता हो तो प्रतिपूरक वनीकरण, योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तभंन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जायगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्वि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते है।

5. **शर्त संख्या–05 (क)** के अनुपालन में एन०पी०वी० के रूप में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा 0.224 हे० हेतु @ 657,000.00 प्रति हे० की दर से ₹ 735,840.00 धनराशि जमा करनी होगी। एन०पी०वी० की मांग का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है :–

एन०पी०वी० की धनराशि का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश संख्या–5–3/2007–एफ०सी० दिनांक 05–02–2009 मे उल्लेखित व्यवस्था के अनुसार आबंटित वन भूमि हेतु एन०पी०वी० की देयता निम्नानुसार है :–

ईको–क्लास श्रेणी–	V
हरियाली का घनत्व–	0.20
एन०पी०वी० की दर प्रति हे०–	₹ 657,000.00
आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल (आरक्षित वन भूमि)–	0.224 ha

कुल देय एन०पी०वी० की धनराशि (आरक्षित वन भूमि)–0.224 ha X 657,000.00x5 = ₹ 735,840.00

या ₹ 735,840.00

नोटः– सम्बधित कार्य (जनपद उत्तरकाशी में रूपिन नदी पर धौला नामक स्थान पर 42 मी० स्पान का स्टील गर्डर पुल का निर्माण हेतु 0.224 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (Online (Proposal no. FP/UK/Other/9741/2015) गोविन्द वन्य जीव विहार एवं राष्ट्रीय पार्क, पुरोला के अभ्यारण क्षेत्र के अन्तर्गत है, जिसके कारण आरक्षित वन भूमि (संरक्षित क्षेत्र) का 5 गुना एन०पी०वी० की धनराशि जमा किया जाना है।

शर्त संख्या– 05 (ख), के अनुपालन मे प्रयोक्ता विभाग द्वारा इस आशय का वचनबद्धता का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि विशेष समिति मूल्य रिपोर्ट प्राप्त होने पर मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा।

6. शर्त संख्या–06 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 05 वृक्षों से अधिक नही होगी का कटान/पातन किया जायेगा एवं पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण मे कटेगे। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।

7. शर्त संख्या–07 के अनुपालन मे प्रयोक्ता अभिरकरण द्वारा धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा करेगा।

8. शर्त संख्या–08 के अनुपालन एफ०आर०ए०–2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण–पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा। अतः जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने होगे।

9. शर्त संख्या–09 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि आई०आर०सी० मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनो किनारों पर पौधों की संख्या बढाई जायेगी।

10. शर्त संख्या–10 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साईनेज लगाये जायेगें इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

11. शर्त संख्या–11 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्राविधानों के अनुसार उपयोगकर्ता पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। इस आशय का प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

12. शर्त संख्या–12 के अनुपालन में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नही बदला जायेगा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

13. शर्त संख्या–13 के अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन भूमि पर मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

14. बिन्दु संख्या–14 के अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा की निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा। जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।

15. बिन्दु संख्या–15 के अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर०सी०सी० पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जायगा जिस पर Forward/Backward Bearings अंकित हों इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

16. शर्त संख्या–16 के अनुपालन में परियोजना कार्य के निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
17. शर्त संख्या–17 के अनुपालन में वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जायेगा। इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
18. शर्त संख्या–18 के अनुपाालन में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेन्सियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नही की जायेगी। इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
19. बिन्दु संख्या–19 के अनुपालन में यदि इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देश फाईल संख्या–11–42/2017/एफ०सी० दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही की जायगी।
20. बिन्दु संख्या–20 के अनुपालन में इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि यदि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर अन्य शर्त लागू की जाती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उनका अक्षरशः पालन किया जायेगा।
21. शर्त संख्या–21 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि परियोजना निर्माण के दौरान मलवा निस्तारण योजना के अनुसार पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा के नीचे न गिरे। किसी भी प्रकार से मलवा निस्तारण वन भूमि पर नहीं किया जायेगा।
22. शर्त संख्या–22 के अनुपालन में प्रयोक्ता यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हों तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेंसी की दायित्व होगा तथा इस आशय का प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
23. बिन्दु संख्या–25 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर भी अपलोड की जायेगी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

भवदीय

(डी०पी०बलोनी)
उप निदेशक
गोविन्द वन्य जीव विहार/रा०पार्क
पुरोला, उत्तरकाशी

पत्रांक 792 / 12-1 समदिनांकित

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोड़ल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून उत्तराखण्ड।
2. निदेशक/वन संरक्षक राजाजी टाइगर रिजर्व, उत्तराखण्ड देहरादून।

(डी०पी०बलोनी)
उप निदेशक
गोविन्द वन्य जीव विहार/रा०पार्क
पुरोला, उत्तरकाशी